

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेंट
मोहनीदेवी पत्नी नरुराम जाति मेधवाल निवारी गाम सादा तहसील पोकरण		सरकार जरिये तहसीलदार,पोकरण

उपस्थिति:-

1. श्री जोधाराम वकील अपीलांट
2. पैरोकार राज जरिये तहसीलदार,
जैसलमेर

निर्णय

दिनांक 23.10.2019

वकील अपीलांट के द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोंडेंट के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 91 के प्रकरण सं0 05/2017 अनवान सरकार बनाम मोहनीदेवी में तहसीलदार,पोकरण के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2017 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है। अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अपीलांट द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप अपील न्यायालय में सब्जेक्ट टू लिमिटेशन के दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंटस को सम्मन जारी किया गया एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गईं। पक्षकारों की बहस आज को सुनी गई।

अपील में मेरे द्वारा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया एवं कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया गया। अपीलांट के द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसके संबंध में उसके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है एवं इस संबंध में रेस्पोंडेंट की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है, अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि माफ की जाती है एवं अपील म्याद में शुमार की जाती है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का के द्वारा अपीलांट के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उसके द्वारा संवत् 2074 में ग्राम सादा के ख0नं0 98 रकबा 110-03 बीधा किस्म गै.मु. औरण में से 0.02.02 बीधा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर मकान का निर्माण किया गया है, इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही करवाई जावे। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रिपोर्ट पटवारी को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि उसके द्वारा राजकीय भूमि पर अतिचार किया गया है, अतः इसके लिये उसके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही क्यों नहीं की जावे तथा उसे दिनांक 15.06.2017 से पूर्व उक्त भूमि को खाली करने के लिये भी उक्त नोटिस से पाबन्द किया गया। इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को न्यायालय में दिनांक 15.06.2017 को उपस्थित होने के लिये अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी/अपीलांट उक्त दिवस को नोटिस तामिल होने के उपरान्त वकालतनामा प्रस्तुत कर जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा आगामी पेशी तारीख 15.07.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2017 को प्रश्नगत भूमि को राजकीय मानते हुए अतिक्रमित भूमि का वार्षिक लगान का रूपये 0.01 प्रतिबीघा की दर निर्धारित करते हुए अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा राशि रूपये 01.00 जुर्माना एवं बेदखली के आदेश से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।



जिला कलक्टर
जैसलमेर


अपीलांट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय विधि, विधान एवं न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तनीय है एवं अपीलांट के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 98 सरकारी भूमि है, जिसका कुल रकबा 110.03 बीघा है, जो ग्राम सादा की आबादी से लगता है एवं आबादी का क्षेत्र सेटलमेन्ट लागू होने के समय अनुसार है, उसमें कोई बढोतरी नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ के निवासियों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार आबादी क्षेत्र के बाहर सरकारी भूमि पर पक्के मकानों का निर्माण कर निवास शुरू किया गया जो कि करीब 40 वर्ष से अधिक समय से आज तक शांतिपूर्वक परिवार सहित निवास कर रही है तथा जनता निवास करती है। अपीलान्त भी उनमें से एक है। ग्राम सादा के खसरा नम्बर 98 गांव की आबादी से लगता हुआ होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा जनता की समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा इसी खसरे में आबादी क्षेत्र बढाने की कार्यवाही वर्ष 2017 में की गई है, जो विचाराधीन है एवं राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 98 की किस्म गै.मु.मकिन ओरण है, परन्तु मौके पर कभी भी पेड नहीं थे और पेडों की होती है। उसका उपयोग अब बदल गया है, वर्तमान में औरण न होते हुए भी उसे औरण मानकर उस पर बस रहे लोगो को अतिक्रमी मानने में अदालत मातेहत ने बड़ी भारी कानूनी एवं वाक्याती त्रुटि की है तथा अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्ती के है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाया जावे।

अपील में राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज के द्वारा निवेदन किया गया कि अतिक्रमित भूमि की किस्म गै.मु. औरण राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के गै.मु. औरण किस्म की भूमि प्रतिबंधित क्षैणी की भूमि में आती है, इसलिए उक्त भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। इस मामले में अतिक्रमित भूमि गै.मु. औरण राजकीय है एवं अपीलांट द्वारा इस भूमि पर अनाधिकृत कब्जा एवं अतिक्रमण कर नियम विरुद्ध निर्माण किया जाना प्रमाणित होने से अधिनस्थ न्यायालय ने उसके विरुद्ध जुर्माना एवं बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कानूनी अथवा वाक्याती भूल नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखवाया जावे।

उभय पक्षों की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्त द्वारा ग्राम सादा के ख.नं. 98 रकबा 110.03 में से 0.02.02 बीघा पर अतिक्रमण किया गया है, उक्त अतिक्रमित भूमि की किस्म गै.मु. औरण राजकीय भूमि है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्षैणी की भूमि है। साथ ही उक्त अपील अधिनस्थ न्यायालय (न्यायालय तहसीलदार, पोकरण) के निर्णय दिनांक 01.08.2017 के संदर्भ में लाया गया है, जबकि उक्त अपील इस न्यायालय में दिनांक 01.10.2019 को दर्ज की गई है। अपीलान्त के द्वारा यह मामला दो वर्ष दो माह बाद लाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी स्वयम् अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अधिवक्ता के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया था। अतः स्थापित तथ्य है कि उसे अपीलान्त को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है, केवल मात्र अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका में निर्णय दिनांक 25.05.2017 के संबंध में एक लिपिकिय त्रुटि को आधार बनाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कराने का तर्क उचित नहीं प्रतीत होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10819/2019 जगदीश प्रसाद मीना एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार में आदेश



दिनांक 30.01.2019 पारित कर राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के सख्त निर्देश दिये गये हैं एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा इस रिट में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में PLPC (Public Land Protection Cell) का गठन भी करवाया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2017 को पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतः विधि सम्मत एवं न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित किये गये सिद्धान्तों के अनुसार है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.08.2017 को यथावत रखा जाता है। पक्षकार अपना अपना व्यय स्वयं वहन करें। यह निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, जयपुर, राजस्थान

